राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 128

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 16 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागा 700वां गोल

>> 15

सरोकार

बारिश की बूंद सहेज लोगों की प्यास बुझा रहा रेलवे स्टेशन

बोकारो : झारखंड का बोकारो रेलवे स्टेशन जल संरक्षण के लिए एक मिसाल है। यहां कभी पीने के पानी की किल्लत थी, आज हर समय पानी उपलब्ध है। सात वर्ष पहले स्टेशन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू हुआ। अब यात्रियों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ता है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अगले युद्ध में स्वदेशी हथियारों से मिलेगी जीत : रावत

नई दिल्ली : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि शस्त्रों व अन्य प्रणालियों का विकास भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, भारत अगला युद्ध स्वदेशी हथियार प्रणालियों और उपकरणों के साथ लड़ेगा और जीतेगा।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

पाक जा रहे पानी को रोककर किसानों को देंगे : मोदी

चरखी दादरी (कुरुक्षेत्र) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के चरखी दादरी की विजय संकल्प रैली में पानी के मुद्दे पर कांग्रेस को जहां कटघरे में खड़ा किया, वहीं अभावग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को जल संकट के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जा रहे पानी को रोककर किसानों को उनका हक दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आतंक और अलगाववाद पर भी जमकर हमला बोला।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

बंगाल के पूजा कार्निवल में मेरा अपमान किया गया : राज्यपाल

कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की सरकार के बीच की कड़वाहट एक बार फिर सामने आ गई। राज्यपाल ने मंगलवार को कहा, 'पूजा कार्निवल में मुझे बुलाकर मेरा अपमान किया गया। चार घंटे तक वहां मौजूद था, लेकिन मुझे ब्लैकआउट कर रखा गया। इससे मुझे काफी अपमान का बोध हुआ। मेरी आंखों में आंसू आने जैसी हालत हो गई थी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

2008 की मंदी जैसे हाल में है ग्लोबल इकोनॉमी

वाशिंगटन : तरह-तरह के ट्रेड बैरियर और भू-राजनीतिक चिंताओं के चलते ग्लोबल इकोनॉमी 'सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन' के चक्र में फंसी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह बात कही है। आइएमएफ ने 2019 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर का अनुमान घटाकर तीन फीसद कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

सीरिया पर हमले के खिलाफ ट्रंप ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध

वाशिंगटन : उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान के विरोध में अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगाते हुए तुरंत संघर्ष विराम करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, 'हम तुर्की के साथ 100 अरब डॉलर के समझौते पर चल रही वार्ता रोक रहे हैं। तुर्की के रक्षा व ऊर्जा मंत्रियों के साथ ही अफसरों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं।

आज ही पूरी हो सकती है अयोध्या मामले पर सुनवाई

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- कोर्ट की ओर से बहस के लिए पक्षकारों को बांटे समय से मिला संकेत
- आज कोर्ट दोनों पक्षों को 'वैकल्पिक मांगों' के मुद्दे पर सुनेगा

अयोध्या राम जन्मभूमि के जिस मुकदमे पर पूरे देश की निगाह है, उसकी सुनवाई बुधवार को ही पूरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पक्षकारों को दलीलें रखने के लिए मंगलवार को बांटे गए समय से इस बात का संकेत मिलता है। सोमवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिरह बुधवार को पूरी कर लेने के संकेत दिये थे। हालांकि कोर्ट ने पहले 18 अक्टूबर और बाद में 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेने की बात कही थी।

बुधवार को सुनवाई पूरी होने का संकेत मंगलवार की सुबह सुनवाई शुरू होते ही मिला था। जब कुछ वकीलों ने कोर्ट से उन्हें भी पक्ष रखने का समय देने की गुहार लगाई तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अभी सुनवाई चल रही है और अभी वह किसी को भी समय दिये जाने का भरोसा नहीं दे रहे। वह कल (बुधवार) इस सुनवाई को पूरा कर लेंगे। इसके बाद सुनवाई के दौरान एक बार फिर कोर्ट ने कहा कि मंगलवार सुनवाई का 39वां दिन है और कल 40वां दिन होगा और सुनवाई पूरी हो जाएगी।

दिन भर चली सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील के. परासरन ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुकदमे का विरोध करते हुए पक्ष रखा। परासरन के बहस पूरी करने के बाद हिंदू पक्ष से ही जब वकील सीएस वैद्यनाथन बहस के लिए खड़े हुए तो कोर्ट ने पूछा, उन्हें बहस पूरी करने में कितना समय लगेगा। वैद्यनाथन ने कहा-दो घंटे। तब शाम के चार बजे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। वे एक घंटे में बहस पूरी करें। कोर्ट सवा चार से सवा पांच तक उन्हें सुनेगी। वैद्यनाथन ने कहा, मुस्लिम पक्ष ने तीन लिखित नोट दिये हैं, जिनका उन्हें जवाब देना है। उन्हें बुधवार को सिर्फ 60 मिनट और दे दें, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें पता है कि कौन इसका कितना पालन करता है। वैद्यनाथन ने कहा, उन्होंने कभी भी तय समय का उल्लंघन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा, ऐसे तो आप दिवाली बाद आइये और अपनी बहस पूरी करिये। यह कहने से कोर्ट का आशय था कि अगर यूं ही चला तो बहस दिवाली तक भी पूरी नहीं होगी। इस गहमागहमी के बाद कोर्ट 15 मिनट का विश्राम लेने के लिए उठ गई। दोबारा सुनवाई शुरू होने पर वैद्यनाथन ने एक घंटे बहस की। उनकी बहस समाप्त होने पर मुख्य न्यायाधीश ने बाकी बचे लोगों को समय बांटते हुए कहा, वैद्यनाथन को बुधवार को 45 मिनट का समय और दिया जाएगा। उसके बाद एक घंटा राजीव धवन को मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब देने के लिए मिलेगा। फिर कोर्ट दोनों पक्षों को 'वैकल्पिक मांगों' के मुद्दे पर सुनेगा। अर्थात पक्षकारों की मुख्य मुकदमे में जो मांग है, अगर वह स्वीकार न हो तो कोर्ट जानना चाहता है कि वह और क्या मांग रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, दोनों पक्षों को 'वैकल्पिक मांगों' के लिए 45-45 मिनट का समय मिलेगा। तभी कई पक्षकारों ने समय की मांग की। गोपाल सिंह विशारद के वकील रंजीत कुमार ने कहा, उन्हें सिर्फ दो मिनट चाहिए। इस पर गोगोई ने कहा ,उन्होंने समय बांट दिया है। इसी में वे आपस मे बंटवारा कर लें, फिर चाहे कोई दो मिनट ले या दस मिनट। इतना कह कर पीठ उठ गई।

ऐतिहासिक गलती सुधारने का वक्त

हिंदू पक्ष महंत सुरेश दास की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के .परासरन ने कहा कि बाबर आक्रमणकारी था। उसने राम जन्मस्थान पर मस्जिद बनाई थी। इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत एक सभ्य देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। यहां अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ऋषि देवो भव की भावना है, लेकिन यहां बहुत आक्रमणकारी आए। उन्होंने तबाही मचाई। मुगल, तुर्क, अंग्रेज आए। बाबर ने यहां आक्रमण किया था और जन्मस्थान पर मस्जिद बनवाई। ये कैसे कहा जा सकता है कि वह शासक था और कानून के ऊपर था। किसी भी आक्रमणकारी का अधिकार नहीं होता।

नमाज दूसरी मस्जिद में हो सकती है पर जन्मस्थान नहीं बदला जा सकता

परासरन ने कहा कि अयोध्या में इस ऐतिहासिक मस्जिद के अलावा कुल 50 से लेकर 80 मस्जिदें हैं। मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए यह भगवान राम का जन्मस्थान है और जन्मस्थान नहीं बदला जा सकता। अयोध्या में मस्जिदों की संख्या बताने पर राजीव धवन ने खड़े होकर कहा कि वहां मंदिर कितने हैं यह भी बताओ। इस पर परासरन का जवाब था कि यह भी जनसंख्या के हिसाब से है।।

सुप्रीम कोर्ट में फिर भिड़े हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील पेज>>5

गैंगस्टर मिर्ची के साथ रिश्तों पर प्रफुल्ल पटेल तलब

कार्रवाई ▶ पूर्व केंद्रीय मंत्री पर कसा ईडी का शिकंजा, 18 को होगी पूछताछ

मुंबई के सीजे हाउस के डीड पर मिर्ची की पत्नी के साथ पटेल के हस्ताक्षर

नीलू रंजन, नई दिल्ली

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासमखास रहे गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथ संबंधों को लेकर पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल की मुसीबत बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए 18 अक्टूबर को तलब किया है। ईडी का दावा है कि उसके पास प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा इकबाल मेमन के साथ व्यवसायिक रिश्ते के पुख्ता सबूत हैं। मुंबई के एक प्लाट की डीड पर हाजरा के साथ प्रफुल्ल ने हस्ताक्षर किए थे। 21 फरवरी, 2007 को जब यह डीड हुई थी, तब प्रफुल्ल पटेल केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री थे और उन्होंने मिलेनियम डेवलपर्स की ओर से डीड पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि मिर्ची के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी था।

दैनिक जागरण के पास मौजूद डीड की प्रति में हाजरा इकबाल ने ही खुद व अपने दो नाबालिग बेटों की तरफ से और मिलेनियम डेवलपर्स की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने हस्ताक्षर किए हैं। जाहिर है ईडी के सामने पूछताछ में प्रफुल्ल पटेल के लिए डीड पर अपने हस्ताक्षर से इन्कार करना आसान नहीं होगा। आरोप है कि वर्ली स्थित सीजे हाउस के लिए इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा और प्रफुल्ल पटेल के परिवार की कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स के बीच सौदा हुआ था। बताया जाता है कि सीजे हाउस इकबाल मिर्ची की बेनामी संपत्तियों में से एक थी। सौदे के तहत मिलेनियम डेवलपर्स ने सीजे हाउस की जगह बनी नई बिल्डिंग में इकबाल मिर्ची की पत्नी और उसके दो बच्चों के नाम तीसरी मंजिल पर नौ हजार वर्गफुट और चौथी मंजिल पर पांच हजार वर्गफुट के साथ-साथ छह गाड़ियों के लिए कवर्ड पार्किंग और एक गाड़ी के लिए खुली पार्किंग देना स्वीकार किया था।

सवाल यह उठता है कि यदि यह जमीन 1963 से ही मिलेनियम डेवलपर्स के पास थी, जैसा कि प्रफुल्ल पटेल परिवार का दावा है, तो फिर 2007 में इकबाल मिर्ची की पत्नी और बच्चों को इसमें 14 हजार वर्ग फीट जगह देने का समझौता क्यों किया गया। जाहिर है, पटेल के लिए इसका जवाब देना आसान नहीं होगा।

दुनिया के 10 बड़े ड्रग तस्करों में था मिर्ची : दरअसल दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माने जाने वाला इकबाल मिर्ची ड्रग तस्करी का काम देखता था। ड्रग तस्करी की काली कमाई से उसने मुंबई और महाराष्ट्र समेत विदेश में कई नामी बेनामी संपत्तियां बना ली थी। 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद दाऊद के गुर्गों पर शिकंजा कसने के बाद इकबाल मिर्ची दुबई भाग गया और वहीं से ड्रग तस्करी का धंधा चलाने लगा। ड्रग तस्करी में इकबाल मिर्ची की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 में अमेरिका ने उसे दुनिया के 10 सबसे बड़े ड्रग तस्करों में शामिल किया था और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया था। 2013 में मिर्ची की मौत हो गई थी।

मुंबई के सीजे हाउस के डीड पर प्रफुल्ल पटेल का हस्ताक्षर (लाल घेरे में)। जागरण

> मेरे परिवार व मिर्ची की पत्नी हाजरा के बीच एक पैसे की संपत्ति का भी सौदा नहीं हुआ है। मिलेनियम डेवलपर्स मेरे परिवार की कंपनी है उसमें कोई भी दूसरा साझेदार नहीं है। **– प्रफुल्ल पटेल, राकांपा नेता**

गैंगेस्टर के साथ सौदे पर पटेल की सफाई

मुंबई, प्रेट्र : प्रफुल्ल पटेल ने इकबाल मिर्ची के साथ जमीन के सौदे के आरोपों को खारिज किया है। इस संबंध में चल रही खबरों को अफवाह बताते हुए पटेल ने कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 'जो दस्तावेज हैं, वो मीडिया में लीक किए गए हो सकते हैं। जाहिर है कि आपके पास कुछ कागजात हैं, जो शायद कभी मेरे ध्यान में नहीं आए।' 'इस स्तर पर सब कुछ बांबे हाईकोर्ट के रिसीवर के पास है। हम सीधे संपत्ति की देखरेख नहीं कर रहे हैं और न ही हम सीधे इसके प्रभारी हैं।'

पीएमसी बैंक घोटाले से भी जुड़े पटेल के तार

नीलू रंजन, नई दिल्ली : इकबाल मिर्ची के परिवार के साथ व्यवसायिक संबंधों को लेकर ईडी के घेरे में आए प्रफुल्ल पटेल के तार पीएमसी बैंक घोटाले से भी जुड़ने लगे हैं। ईडी के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, घोटाले के सूत्रधार राकेश और सारंग वधावन के दो में से एक निजी विमान का इस्तेमाल प्रफुल्ल करते थे। वधावन ने ये विमान पीएमसी बैंक से लोन लेकर खरीदे थे। वधावन की कंपनी एचडीआइएल पर पीएमसी बैंक के 4,355 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का आरोप है, जिस कारण बैंक के खाताधारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में राकेश, सारंग और उनसे जुड़ी कंपनियों की 3,830 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिनमें छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर खड़े दो निजी विमान भी शामिल हैं। इनमें से एक विमान का इस्तेमाल वधावन परिवार करता था, जबकि दूसरे विमान का इस्तेमाल लगातार प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे। खास बात यह है कि उस समय प्रफुल्ल केंद्र में मंत्री भी थे।

ईडी को मिले रिकार्ड के मुताबिक, वधावन के दूसरे विमान का प्रयोग पूरी तरह से पटेल ही करते थे, क्योंकि उसके हर उड़ान में वो शामिल थे। उनके साथ उनकी पत्नी वर्षा पटेल भी होती थीं। कुछ उड़ानों में पीएमसी बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस और पूर्व प्रबंध निदेशक वारियम सिंह भी शामिल थे। ये दोनों विमान प्रीविलेज एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम खरीदे थे, जिनमें राकेश और सारंग वधावन निदेशक हैं। इससे साफ होता है कि किस तरह राजनीतिक संरक्षण में पीएमसी बैंक घोटाले को अंजाम दिया गया।

फर्जी मालिकाना हक के आधार पर छुड़ाई जब्त संपत्तियां पेज>>5

सुनवाई से न्यायाधीश को हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्र ने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों की व्याख्या के लिए गठित संविधान पीठ से उन्हें हटाने के लिए सोशल मीडिया और खबरों में चलाए जा रहे अभियान पर मंगलवार को नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह किसी न्यायाधीश विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि संस्थान की छवि खराब करने का प्रयास है।

जस्टिस अरुण मिश्र भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों की व्याख्या के लिए गठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। किसानों के संगठन सहित कुछ पक्षकारों ने न्यायिक नैतिकता के आधार पर जस्टिस मिश्र से सुनवाई से हटने का अनुरोध करते हुए कहा है कि संविधान पीठ उस फैसले के सही होने के सवाल पर विचार कर रही है जिसके लेखक वह खुद हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल छह मार्च को कहा था कि समान सदस्यों वाली उसकी दो अलग-अलग पीठ के भूमि अधिग्रहण से संबंधित दो अलग-अलग फैसलों के सही होने के सवाल पर वृहद पीठ विचार करेगी।

जस्टिस मिश्र ने मंगलवार को इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान कहा, 'यदि इस संस्थान की ईमानदारी दांव पर होगी तो मैं त्याग करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं पूर्वाग्रही नहीं हूं और इस धरती पर किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता हूं। यदि मैं इस बात से संतुष्ट होऊंगा कि मैं पूर्वाग्रह से प्रभावित हूं तो मैं स्वयं ही इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लूंगा।' उन्होंने पक्षकारों से कहा कि वह उन्हें इस बारे में संतुष्ट करें कि उन्हें इस प्रकरण की सुनवाई से खुद को क्यों अलग करना चाहिए।

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही कुछ पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ने उस निर्णय पर हस्ताक्षर किए थे जिसके सही होने के मुद्दे पर यह पीठ विचार कर रही है, इसमें पक्षपात का तत्व हो सकता है।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट शामिल हैं। जस्टिस मिश्र वह फैसला सुनाने वाली पीठ के सदस्य थे जिसने कहा था कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण भू स्वामी द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार करने में पांच साल तक का विलंब होने के आधार पर रद नहीं किया जा सकता।

भूमि अधिग्रहण कानून का मामला

- जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा, कोई उन्हें पूर्वाग्रही साबित कर दे तो वो खुद ही सुनवाई से हट जाएंगे
- कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए गठित संविधान पीठ के अध्यक्ष हैं जस्टिस मिश्र

अरुण मिश्र फाइल फोटो

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप लागू पहले ही दिन प्रतिबंध धुआं-धुआं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- न जनता जागरूक दिखी और न ही जिम्मेदार विभाग

जाड़े में प्रदूषण से जंग के लिए मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू तो हो गया, लेकिन पहले ही दिन इसके प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ती दिखीं। जनता में जहां इसे लेकर जागरूकता ही नहीं है, वहीं इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग भी उदासीन दिखे।

मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर में खुले में कचरा जलाने, डीजल जेनरेटर, ढाबों-रेस्तराओं में लकड़ी व कोयले के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लग गया है। धुआं छोड़ते वाहनों पर जहां भारी जुर्माना किया जाएगा वहीं सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। इन सभी प्रावधानों पर अमल की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, तीनों नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, परिवहन विभाग, वन विभाग, यातायात पुलिस, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि विभागों की है, पर कहीं कोई गंभीर नजर नहीं आया। मंगलवार को खूब जेनरेटर चलते दिखाई पड़े। ढाबों में कोयले का धुआं निकलते देखा गया। धुआं छोड़ते वाहन भी बेधड़क चले। कई जगह कचरा जलते दिखा।

शुक्रवार की बारिश प्रदूषण की अकड़ करेगी कम : दिल्ली में शुक्रवार को हल्की बारिश होगी, इससे प्रदूषण कम होगा जबकि ठंड में इजाफा होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर गौर करें तो नवंबर के पहले सप्ताह तक दिल्ली में मौसम काफी हद तक बदल जाएगा।

> ईपीसीए या सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) प्लान बना सकते हैं, गाइडलाइंस दे सकते हैं, उन पर अमल कराना राज्य सरकारों का काम है, जबकि राजनीतिक स्तर पर सख्त कदम कभी नहीं उठाए जाते। इसी के चलते स्थिति बदतर होती जा रही है।
> **–भूरेलाल, अध्यक्ष, ईपीसीए (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण)**

यार्ड में खड़े रैक और इंजन से शुरू की गई 'सेवा सर्विस'

नई दिल्ली : उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करके यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से रेलवे ने मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों में 'सेवा सर्विस' नाम से नौ ट्रेनों की शुरुआत की है। नई दिल्ली स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल व अन्य मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था। आने वाले समय में इस तरह की अन्य ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। (पेज-5)

झारखंड में तेल बहने से पानी हुआ जहरीला, पेयजल का संकट

धनबाद : धनबाद के जामाडोबा में मंगलवार सुबह दामोदर नदी का पानी देख सबके होश उड़ गए। पानी के ऊपर तेल तैर रहा था और यह जहरीला भी हो गया था। मछलियां मर रही थीं। झमाडा (झारखंड क्षेत्र खनिज विकास प्राधिकार) के जल संयंत्र कर्मियों ने सुबह छह बजे फिल्टर प्लांट में जल भंडारण कार्य रोक दिया। इससे झरिया शहर, कतरास व महुदा समेत कोयलांचल के आसपास लगभग 20 लाख की आबादी वाले इलाके में जलापूर्ति नहीं हो सकी। लोग पानी को तरसते रहे। (पेज-6)

जागरण विशेष

शिकारियों के बढ़ते शिकंजे और प्राकृतिक असंतुलन से अस्तित्व के लिए जूझते बाघों पर मंडरा रहा नया खतरा, कीटनाशक चाटने से एक बाघ की हो चुकी है मौत, इसे माना जा रहा देश-दुनिया का पहला मामला

खेतों में कीटनाशक के खतरे से घिरे बाघ

श्वेतांक शंकर उपाध्याय, लखीमपुर

शिकारियों के बढ़ते शिकंजे और प्राकृतिक असंतुलन से अस्तित्व के लिए जूझ रहे बाघों पर नए किस्म का खतरा मंडरा रहा है। फसल पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक इंसानों के साथ ही बाघ जैसे वन्यजीवों के लिए भी जानलेवा साबित होने लगे हैं। पिछले दिनों आई एक बाघ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कीटनाशक चाटना बताया गया है।

इस तथ्य के सामने आने के बाद वन्यजीव विशेषज्ञों में नई बहस छिड़ गई है। वे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में इस तरह का पहला मामला मान रहे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए सुझाव भी दिया है कि अगर बाघों को बचाना है तो जंगल के आसपास के खेतों में कीटनाशक का प्रयोग तुरंत बंद करना होगा।

संभावित नए खतरे के संकेत प्राकृतिक हरियाली और ग्रास लैंड की वजह से बाघों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाले उत्तर प्रदेश की तराई में स्थित खीरी के जंगल से मिले हैं। यहां करीब 884 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर, महेशपुर और गोला रेंज में तकरीबन सौ बाघ और तेंदुए विचरण कर रहे हैं। बाड़ न होने से ये जानवर अक्सर जंगल से सटे करीब 1500 हेक्टेयर में फैले खेतों तक पहुंच जाते हैं, जहां अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है।

तीन माह पहले सामने आया मामला : इसी साल 10 जुलाई को एक वयस्क बाघ का शव शारदा नहर ब्रांच में बहता मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) में पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित कर जांच शुरू की गई। गहन पड़ताल के बाद जो नतीजे आए, उसने वन अफसरों की नींद उड़ा दी। बाघ की कीटनाशक चाटने से मौत हुई थी।

प्रतीकात्मक

स्वास्थ्य कारणों से मांसाहारी जानवर खा लेते हैं घास

विशेषज्ञों के अनुसार, आमतौर पर बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों का जब पेट खराब होता है तो वे घास या अन्य वनस्पतियां खाते हैं। इसी के चलते कीटनाशक फसलों के जरिए इनके पेट में चला जाता है।

जिम्मेदार की सुनिए

डीएफओ समीर कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश के बाघों की मौत का डाटा और विसरा रिपोर्ट मंगाकर मंथन किया जा रहा है। उच्चाधिकारी बड़े स्तर पर वजह तलाश रहे हैं।

विशेषज्ञ बोले...

तराई नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के सचिव डॉ. वीपी सिंह कहते हैं कि जंगल से सटे खेतों में ज्यादातर गन्ना ही बोया जाता है। गन्ने में घातक कीटनाशक का प्रयोग होता है, जो जानलेवा होता है। हमें कीटनाशक की बिक्री पर रोक लगानी होगी। किसान भी खेतों में उनका प्रयोग न करें।

पीएमसी बैंक में जमा थे 90 लाख, दिल का दौरा पड़ने से खाताधारक का निधन

- तनाव में चल रहे संजय गुलाटी को सोमवार रात खाने के वक्त पड़ा हार्ट अटैक
- 80 वर्षीय पिता के साथ कोर्ट के बाहर हुए प्रदर्शन में थे शामिल

मुंबई, प्रेट्र : पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के एक खाताधारक संजय गुलाटी (51) की सोमवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। संजय के परिवार के लगभग 90 लाख रुपये बैंक की ओशिवारा शाखा में जमा थे, लेकिन पैसे निकालने की मनाही के चलते वह तनाव में चल रहे थे। बता दें कि संजय और उनके पिता सीएल गुलाटी उन खाताधारकों में शामिल थे, जिन्होंने सोमवार को कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर बैंक में जमा रकम जल्द दिलाने की मांग की थी।

पत्नी बिंदू गुलाटी ने बताया कि संजय जेट एयरवेज में काम करते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले कंपनी के दिवालिया होने के बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। नौकरी छूटने और बैंक में घोटाले के बाद से वह अत्यधिक तनाव में चल रहे थे। उनको डर था कि उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। दिव्यांग बेटे की ट्यूशन फीस और उसकी विशेष चिकित्सा के लिए भी पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार दोपहर प्रदर्शन स्थल से लौटने के बाद से संजय बहुत तनाव में थे। रात के खाने के वक्त उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। आननफानन में उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी है।

पिता सीएल गुलाटी ने बताया कि उनके परिवार के 90 लाख रुपये बैंक में जमा हैं। इसके अलावा बच्चों के नाम से आरडी (आवर्ती जमा) भी है। प्रदर्शन में शामिल मनाली नारकर ने बताया कि कुछ खाताधारक मंगलवार दोपहर संजय के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

सोमवार को आरबीआइ ने बढ़ाई थी कैश निकालने की सीमा : पीएमसी बैंक में घोटाले का पता लगने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ)ने खाताधारकों के कैश निकालने पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगा दिए थे। पहले खाताधारक सिर्फ एक हजार रुपये निकाल सकते थे, लेकिन बाद में इस सीमा को बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया। सोमवार को आरबीआइ ने इसमें और राहत दी और कैश निकालने की सीमा को चालीस हजार रुपये कर दिया।

आचार संहिता खत्म होने के बाद केंद्र से करेंगे मदद का अनुरोध : फड़नवीस पेज>>3